

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिला - जबलपुर


--: आदेश :-

कं./ 231 /सी.जे.एम./2024

जबलपुर, दिनांक-22.08.2024

माह सितम्बर 2024 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।


क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	सुश्री पलक श्रीवास्तव	02.09.2024	13	श्रीमती ज्योत्सना आर्य	19.09.2024
2	श्री अंशुल जैन	03.09.2024	14	श्रीमती नमिता बौरासी	20.09.2024
3	सुश्री श्रेया शर्मा	04.09.2024	15	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	23.09.2024
4	सुश्री किरण वर्मा	05.09.2024	16	श्रीमती रुचि गोलस सगर	24.09.2024
5	श्री स्वास्तिक सावंत	06.09.2024	17	श्रीमती शीला मैना यादव	25.09.2024
6	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	09.09.2024	18	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर	26.09.2024
7	श्रीमती मीनाक्षी दांदेलिया खण्डेलवाल	10.09.2024	19	श्रीमती अंकिता शाही	27.09.2024
8	श्री भूपेन्द्र सिंह	11.09.2024	20	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता	28.09.2024
9	श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी	12.09.2024	21	श्री मृणाल मोहित	30.09.2024
10	श्रीमती मुनमुन सिंह	13.09.2024			
11	सुश्री अभिसारिका माहुँने	14.09.2024			
12	श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे	18.09.2024			


(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, (प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।

- 3- उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नित हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है अन्यथा उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को **सुश्री अभिसारिका माहुँने** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश सुश्री अभिसारिका माहुँने जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **श्रीमती मुनमुन सिंह**, जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश श्रीमती मुनमुन सिंह जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **श्रीमती रिशा अहमद कुरैशी** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी।
- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- जूनियर सिस्टम ऍनालिस कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की पालनार्थ प्रेषित।


(आलक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर